



सत्यमेव जयते

फा. सं. एनसीएसटी /11023/5/2023/स्था.  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत एक संवैधानिक निकाय)

बी. विंग लोकनायक भवन,  
खान मार्केट नई दिल्ली -110003  
दिनांक : 03.02.2023

### कार्यालय आदेश

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त उच्चतर माध्यमिक(10+2) स्तर परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर, दिनांक 2 जनवरी, 2023 के आयोग के समसंख्यक पत्र में निहित निबंधन और शर्तों पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा श्री आदित्य कुमार (अनुक्रमांक सं0 2006016162) को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में अस्थायी आधार पर दिनांक 27 जनवरी 2023 (पूर्वाह्न) से 7वें वेतन आयोग (रू. 19900-63200) मैट्रिक्स के वेतन स्तर-2 में नियुक्त करते हैं।

2. वे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होंगे।
3. श्री आदित्य कुमार को दिनांक 27.01.2023 से अर्थात् इस आयोग में उनकी कार्य ग्रहण की तिथि से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के कार्यबल में शामिल किया जाता है।
4. श्री आदित्य कुमार की उपर्युक्त नियुक्ति नियमानुसार पुलिस, जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन आदि के अधीन है।
5. यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

*राजेश कुमार वर्मा*

(राजेश कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष सं.: 011-24657211  
ई-मेल: us@ncst.nic.in

#### प्रतिलिपि:

1. श्री आदित्य कुमार, अवर श्रेणी लिपिक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जीवन तारा भवन, पटेल चौक, नई दिल्ली।
3. आहरण एवं संवितरण अधिकारी/ रोकड़, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक प्रति सहित।
4. संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुभाग, जीवन तारा भवन, पटेल चौक, नई दिल्ली।
5. कर्मचारी चयन आयोग (एनआर), ब्लॉक सं.12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के दिनांक 14 दिसम्बर 2022 के पत्र सं. 1/1/2022- सीएचएसएल-20020 (एनओएम.) (एल 37) के संबंध में।

#### प्रतिलिपि:

1. माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
2. माननीय सदस्य के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
3. सचिव के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
5. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
6. सभी उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, (मुख्यालय), नई दिल्ली।
7. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
8. श्री आदित्य कुमार, अवर श्रेणी लिपिक की वैयक्तिक फाइल/सेवा पुस्तिका।
9. एनआईसी को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।